उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-150/2016/आर-3276/26-3-2016-5382/2015

लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई 2016

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-104/46/ज.जा.वि./स्था.2016-17, दिनांक-25-072016 में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री गजराम सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, जयनगर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, लखीमपुरखीरी जिनकी दिनांक-31-07-2016 को शैक्षिक सत्र 2015-16 में अधिवर्षता आयु पूर्ण हो रही है, के कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक-21-01-1991 शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक-19-01-1996 तथा शासनादेश संख्या-2214/26-1-2015-2जी(150)/89, दिनांक-17-08-2015 में उल्लिखित शर्तो/प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री गजराम सिंह, सहायक अध्यापक को शैक्षिक सत्र 2016-17 में दिनांक-31-03-2017 तक का सत्रलाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0सं0 150/2016/आर-3276(1)/26-3-2016-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक-25-07-2016 के सन्दर्भ में।

3-कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।

4-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, लखीमपुरखीरी।

5-श्री गजराम सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, जयनगर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, लखीमपुरखीरी।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।